मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-12/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 20-1-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन.

राज्य शासन के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उद्‌भूत हुए हैं:—

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर क्या इस आदेश के विरुद्ध "द्वितीय अपील" की जा सकती है?

(2) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर क्या इस आदेश के विरुद्ध नियम 29 के तहत पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र, पुनर्विलोकन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है?

2. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:—

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 23 से स्पष्ट है कि नियम 10 में उल्लिखित शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित किये जाने वाले आदेश के विरुद्ध ही अपील की जा सकती है, वह आदेश चाहे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा दिया गया हो. स्पष्ट है कि इस नियम अर्थात् नियम 23(1) के अनुसार वह आदेश मूल आदेश होना चाहिये जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है न कि प्राधिकारी का अपील प्रकरण में दिया गया आदेश.

उक्त नियमों में अपील से संबंधित अध्याय-7 में उल्लिखित नियम 26, 27 एवं 28 पर विचार करने पर भी यही स्पष्ट होता है कि उपरोक्त नियमों में एक से अधिक अपील का कोई प्रावधान नहीं है. अत: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन एक से अधिक अपील का प्रावधान नहीं होने से "द्वितीय अपील" नहीं की जा सकती है.

(2) नियमों में "पुनर्विलोकन" के संबंध में 8वें भाग में नियम निर्मित है तथा यह नियम 29 पुनर्विलोकन को स्पष्ट करता है. नियम 29 के अधीन ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है जिनके विरुद्ध अपील अनुज्ञात हो किन्तु न की गई हो या जिसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञात न हो. इससे स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन केवल उन्हीं आदेशों के लिये किया जा सकता है जिसमें कि अपील अनुज्ञात न हो अथवा अनुज्ञात हो लेकिन न की गई हो. अत: स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर इस आदेश के विरुद्ध नियम 29 के तहत "पुनर्विलोकन आवेदन" नहीं किया जा सकता है.

3. कृपया नियमों की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखा जावे.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.